MULTIDISCIPLINARY COSMOPOLITAN JOURNAL OF RESEARCH
(MUCOJOR)-2583-9829(Online)
International Peer Reviewed and Referred E-Journal
ISSN: 2583-9829, Volume: 02, Issue: 04, December 2024

आजादी के 76 वर्ष और सामाजिक समस्याओं की बदलते स्वरूप
तलाक विवाह विच्छेद अवधारणा, कारण, आपसी समझ की स्थिति, निवारण के उपाय

डॉ शक्ति सिंह राठौड़
सहायक आचार्य समाजशास्त्र
राजकीय कन्या महाविद्यालय बड़ागुड़ा सोजत जिला पाली

विवाह विच्छेद की अवधारणा

सामाजिक एवं कानूनी रूप से पति-पत्नी के बीच विवाह संबंधों की समाप्ति ही विवाह विच्छेद कहलाता है विवाह विच्छेद पति-पत्नी के वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन में असामंजस्य एवं असफलता का सूचक है इसका अर्थ यह है कि जिन उद्देश्य को लेकर विवाह किया गया वह पूर्ण नहीं हुए यह एक दुखद घटना है विश्वास की समाप्ति है अग्नि के समक्ष सात फेरे लेते हुए यह प्रतिज्ञा की जाती है जीवन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे हिंदुओं में स्त्री के लिए पतिव्रता तथा सतीत्व के पालन की बात कही गई है अतः स्त्री द्वारा पति त्यागने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और ऐसा करना उसके लिए सामाजिक वह धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना गया अध्यपी वैदिक काल में विवाह विच्छेद की कुछ उदाहरण है ।मनु ,नारद, बृहस्पति, पाराशर ,आदि ने कुछ परिस्थितियों में विवाह विच्छेद की स्वीकृति प्रदान की है मनु ने स्त्री ब्राज होने ,उसके बच्चे जीवित न रहने ,तथा केवल लड़कियां ही होने अथवा झगड़ालू होने पर दूसरा विवाह करने की बात कही है कौटिल्य ने भी ऐसी अवस्थाओं में पति को दूसरा विवाह करने की स्वीकृति दी है।पति के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करने वाली स्त्री को पुनृभू कहा गया है यदि पति दुश्चरित्र हो वह बहुत उमृ हो लंबे समय से विदेश में हो अपने बंधु बांधवों के प्रति कृतज्ञन हो जाति से बहिष्कृत कर दिया गया हो पुरुष्तत्वहीन हो या उसके पत्नी के जीवन को संकट उत्पन्न हो सकता है तो ऐसी स्थिति में कौटिल्य पति को त्यागने की बात कहते हैं पारस्परिकता के कारण भी विवाह विच्छेद हो सकता है नारद एवं पाराशर के पति नपुंसक होने अज्ञात होने पर मर जाने पर ,साधु हो जाने पर जाति समाज से बहिष्कृत हो जाने की अवस्था में स्त्री को दूसरा पति ढूंढने की स्वीकृति दी है किंतु ऐसा कल की प्रारंभ से ही नैतिकता की दुहाई देकर विवाह विच्छेद को धार्मिक पवित्र एवं गणित कार्य समझा जाने लगा और उसके बाद जो विवाह विच्छेद लगभग समाप्त ही हो गए ईसा के 1000 वर्ष बाद तो यह धारणा दृढ़ हो गई की कन्यादान सिर्फ एक ही बार किया जाता है और यदि पति चाहे कितना ही उसे चरित्रहीन एवं अत्याचारी क्यों ना हो उसे नहीं छोड़ा जा सकता विवाह विच्छेद की स्वीकृति भी आठ प्रकार की विवाह में से अंतिम चार में दी गई थी प्रथम चार प्रकार के विवाह को धम्यृ माना गया और उन में विवाह विच्छेद संभव नहीं था विवाह विच्छेद की समस्या का संबंध हिंदुओं की उच्च जातियों से ही है निम्न जातियों में तो आज भी विवाह विच्छेद होते हैं हिंदुओं में पुरुष को विवाह विच्छेद की स्वीकृति दी गई है किंतु स्त्रियों को नहीं इसका कारण भारतीय समाज का पुरुष प्रधान होना एवं स्त्रियों

की निम्न सामाजिक स्थिति है भारतीय समाज को पुरुष प्रधान समाज माना जाता रहा है समाज में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को निम्न माना जाता रहा है। विवाह विच्छेद को ही तलाक कहा जाता है सामाजिक एवं कानूनी रूप से विवाह को समाप्त करना विघटन करना विवाह विच्छेद कहलाता है विवाह विच्छेद की प्रक्रिया भी उसी तरह घटित होती है जिस प्रकार विवाह संपन्न होता है यह अनेक सामाजिक सास्कृतिक एवं कानूनी नियमों के माध्यम से संपन्न होता है तथा इसकी कठिनाई इसके सामाजिक वह व्यक्तिगत परिणाम को दर्शाती है कभी-कभी विवाह विच्छेद कई कारणों से उपन्न होता है जैसे एक लंबे समय तक अकेला रहना अलग रहने की मांग कानूनी अलगाव तथा अंततः शुद्ध तलाक एक परिवार जिसकी वैवाहिक अपेक्षा उच्च है पर वैवाहिक व्यवस्था उन्हें तलाक लेकर शादी से निकलने को प्रेरित कर सकता है।

विवाह विच्छेद के कारण

समाजशास्त्रियों ने विवाह विच्छेद के लिए कुछ कारण बताए हैं जिसमें पति की नपुंसक होने पर ,स्त्री के बाज होने पर स्त्री के झगड़ालू होने पर ,स्त्री के चरित्र हीन होने पर, दामले के अनुसार जब परिवार में सामंजन का अभाव पति-पत्नी के आपसी कलह हो , पत्नी का झगड़ालू स्वभाव हो ससुराल वालों द्वारा पत्नी पर दहेज को लेकर दबाव बनाना और ससुराल के झगड़े को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है पति-पत्नी का अनैतिक व्यवहार पति का कामचोर होना पारिवारिक दायित्वों का निर्वाहन न करना यह विवाह विच्छेद की प्रमुख कारण हो सकते हैं

चौधरी के अनुसार, इन्होंने अपने अध्ययन में पाया विवाह विच्छेद के लिए अवैध संबंध और पर्याप्त ग्रह जीवन शारीरिक प्रहार असाध्य रोग रोग में जीवन यह विवाह विच्छेद की प्रमुख कारण हो सकते हैं। हम यहां पर कुछ और कारणो को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे

1 परिवर्तन की प्रति सहमति-भारत एक परंपरावादी देश की श्रेणी में आता है। हम प्राथमिकता को बदलते हुए देखते हैं पहले अब पति को वरीयता दी जाती थी तब महिलाओं के लिए कार्य क्षेत्र परिभाषित थे तथा एक पद्धति का अनुपालन आसान था नारी मुक्ति उनकी आर्थिक स्वतंत्रता तथा पश्चिमी प्रभाव ने आज शिक्षित शहरी आदिवासियों के वैवाहिक संबंधों को प्रभावित किया है भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है यहां सट्टा का हस्तांतरण पिता से पुत्र को होता है और महिलाओं की सामाजिक स्थिति प्राचीन काल से निम्न रही है लेकिन वर्तमान समय में स्त्री और पुरुष दोनों को समकक्ष माना जा रहा है।

2 आधुनिकीकरण-परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है चाहे वह सामाजिक संबंध हो चाहे भौतिक परिवर्तन हो जगत परिवर्तन के बहाव में है बदलते नैतिक मूल्यों के फल स्वरुप स्वतंत्र लैंगिक संबंधों वह जन्म नियंत्रण तकनीक की वजह से परिवार का विघटन काफी तेजी से हुआ हैपरिवार और विवाह से संबंध धार्मिक नियमन का अब लोक होने लगा है तथा पारिवारिक विघटन आसान होता जा रहा है भूतकाल में विवाह एक पारिवारिक समारोह हुआ करता था जहां दो परिवारों के बीच संबंध हुआ करता था आधुनिकीकरण के साथ दम पत्तियों का विवाह हेतु सब प्रयास ही अब अधिक देखने को मिलते हैं इस प्रकार के विवाह को हालांकि माता-पिता अपनी सहमति दे देते हैं पर परिवारों के मध्य एक प्राकृतिक बंधन

MULTIDISCIPLINARY COSMOPOLITAN JOURNAL OF RESEARCH
(MUCOJOR)-2583-9829(Online)
International Peer Reviewed and Referred E-Journal
ISSN: 2583-9829, Volume: 02, Issue: 04, December 2024

नहीं बन पाता इस प्रकार से अपने साथी के चयन की विधि की अपने लाभ हानियां है यह विवाह की स्थिरता पर निर्भर करता है वर्तमान समय में युवाओं में लंबे समय तक अविवाहित रहने की और लगी है उच्च अध्यनरत विवाह को अनिवार्य नहीं मानते लाइव इन रिलेशन में रहने की नवीन प्रवृत्ति पनप रही है यह प्रवृत्ति भी बाद में विवाह विच्छेद का कारण बन सकती है।

3 उच्च व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा-आधुनिकऔद्योगिक समाज के लोग परंपरागत समाज के लोगों की अपेक्षा अधिक महत्वाकांक्षी है आज लोक परिवार को बलिदानकर रोजगार में लगे हुए हैं अतः परिवार अब गुण है अब परिवार को बलिदान कर व्यक्तिगत सुख और स्वतंत्र देखने को मिलती है आधुनिक समय में पूंजीवादी युग में पूंजी की प्रधानता है परिवार को विवाह को गॉड माना जा रहा है व्यक्ति व्यक्तिगत सुख के लिए सामुदायिक सुख को न्योछावर कर देता है व्यक्तिगत मतलब कांक्षा के कारण विवाह विच्छेद अधिक होने लगे हैं।

4 छोटे परिवारों की वृद्धि-नगरीकरण और औद्योगीकरण के फलस्वरूपहम छोटे परिवारों की संख्या में वृद्धि देखते हैंभारतीय परिपेक्ष में परिवार की संकल्पना सदैव संयुक्त परिवार के रूप में देखने को मिलती है संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार होता है जो एक साथ तीन पीढियां के लिए रहते हैं एक ही रसोई को बना भोजन करते हैं एक ही पूजा का स्थान होता है और आर्थिक व्यवस्था का संचालन घर में सबसे बड़े जो मुखिया होते हैं इनके द्वारा किया जाता है लेकिन संयुक्त परिवार धीरे-धीरे एकांकी परिवार में बदलने लगे हैं।

संयुक्त परिवार में बच्चों पर पूरा ध्यान दिया जाता है माता-पिता के प्रति सम्मान व समर्पण देखने को मिलता है तथा युवा अपने बुजुर्गों से निर्देशन पाए रहते हैं सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर परिवार के सारे सदस्यों से सलाह ली जाती है संयुक्त परिवार बड़े बुजुर्गों की अपेक्षा नहीं करते हैं यह व्यक्तिवाद का कोई स्थान नहीं होता और जहां तक तलाक की बात है इसका फैसला जल्दबाजी में नहीं होता माता-पिता पति-पत्नी के बीच मध्यस्थता करते हैं संयुक्त परिवार के विघटन से कहीं समस्या सामने आई है इसमें विवाह विच्छेद भी एक प्रमुख है।

5 नैतिक मूल्य का पतन-आधुनिक समाज में नैतिकता धीरे-धीरे गायब हो चुकी है लोगों के मूल्य में पतंग देखने को मिलता है भारतीय समाज में विवाह को एक धार्मिक एवं अटूट बंधन माना जाता था और कहा जाता था जोड़ियां ऊपर वाला बनाकर के भेजता है विवाह विच्छेद की बात को इंसान सोच भी नहीं सकता था लेकिन समाज में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है पति-पत्नी एक दूसरे पर शक की निगाहों से देखते हैं अवैध संबंध होते हैं इसके कारण विवाह विच्छेद हो रहे हैं।

6 भौतिक अलगाव-बाहर उपलब्ध रोजगार अवसरों के कारण लोग गांव छोड़कर देश या देश के बाहर बड़े शहरों की तरफ भाग रहे हैं यह विधि थी कि बड़े शहरों में आवास एक प्रमुख समस्या है इसलिए लोग अपने परिवारों को साथ नहीं रख पाते हैं अपनी लैंगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य की सेवा लेते हैं जैसे वेश्यालय जाना जो आसानी से उपलब्ध है रोजगार की तलाश में गांव के लोग शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं इस प्रकार नगरीकरण होता है वहां पर किराए के मकान में रहना होता है जो एक छोटा सा कमरा होता है परिवार को साथ में नहीं रखा जाता लंबे समय तक बाहर रहने से

लैंगिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है इस पूर्ति को करने के लिए अनैतिक अवैध संबंध की ओर व्यक्ति बढ़ जाता है और अलगाव की स्थिति पैदा होती है।

7 तथ्यों को छुपाते हुए षडयंत्र पूर्वक शादी करना

माता-पिता अक्सर अपनी संतानो का विवाह तथ्यों को छिपाकर करते हैं जिसके कारण भविष्य में वैवाहिक संबंधों में जहर गुल जाता है और रिश्तो में कड़वाहट पैदा होती है। विवाह संबंध स्थापित करने में अक्सर माता-पिता द्वारा लड़के की रोजगार की वास्तविक स्थिति उसकी आय नशे की प्रवृत्ति इसका स्वभाव पूर्व में वैवाहिक संबंध आदि तथ्यों को छुपाया जाता है।

8 घरेलू हिंसा-शहरों में पति-पत्नी दोनों नौकरशुदा होते हैं कार्य की व्यस्तता के चलते दोनों ही एक दूसरे को पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं सीमित समय और सीमित मात्रा में पति-पत्नी के बीच वार्तालाप नहीं होने के कारण सामंजस्य का अभाव होने लगता है कार्य की व्यवस्थता के चलते पारिवारिक जिम्मेदारियां भी पति-पत्नी द्वारा समय पर पूरी नहीं की जा सकती युक्त कारणो मनमुटाव पैदा होता है जो घरेलू हिंसा का एक कारण बनता है और दांपत्य जीवन अलगाव को जन्म देता है।

9 महिलाओं की आधुनिक सोच

आधुनिक समाज की महिलाएं परंपरावादी सोच और विचारों को त्याग करके आधुनिक विचारों को अपने वाली महिलाएं पारिवारिक मूल्यों के प्रति कम समर्पित रहती है आधुनिक विचार रखने वाली महिलाओं की दृष्टि में शादी सात जन्मों का बंधन और संस्कार ना होकर मौज साथ में रहने का एक तरीका होता है आधुनिक विचारों वाली महिलाओं का मानना होता है जब दांपत्य जीवन कठिन और संघर्षपूर्ण हो जाएतब ऐसे रिश्तों को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए

10 स्वयं के अधिकारों के प्रति जागरूकता

आधुनिक समाज में अधिकांश महिला शिक्षित होती है और वह महिलाओं को मिले कानूनी और संवैधानिक अधिकारों से भली-भांति परिचित होती है।जब कभी ऐसी शिक्षित महिलाओं का दांपत्य जीवन दुखदाई और तनावपूर्ण हो जाता है तब ऐसी महिला अपने पति से विवाह विच्छेद कर लेने में अपनी भलाई समझता है।

- **आपसी समझ की स्थिति**-विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है स्त्री और पुरुष सामाजिक जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं और जीवन में आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों का अपना महत्व है वर्तमान स्थिति मेंकिसी अन्य स्थिति में परिवर्तन जीवन में अवरोध पैदा करता है तलाक दोनों साथियों के लिए विनाशकारी होता है जो साथी जो साझे लक्ष्य नजदीकी के लिए विवाह करते हैं जब उन्हें तलाक की वास्तविक स्थिति का सामना करना पड़ता हैतो उन्हें इस नई परिस्थिति में सामान्य बिठाने में समय लगता है उसे समय आपसी समझ के द्वारा रिश्ते को टूटने से बचाया जा सकता है इसमें स्त्री एवं पुरुष को एक दूसरे को समझने की जरूरत है दोनों की जीवन में कहीं सारे कारण होते हैं जो अवरोध पैदा करते हैं लेकिन समझदार इंसान इन अवरोधों को दूर करके जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ने का प्रयास कर सकता है चालक की प्रक्रिया के दौरान थोड़ा समय व्यतीत होने पर दोनों पक्ष

MULTIDISCIPLINARY COSMOPOLITAN JOURNAL OF RESEARCH
(MUCOJOR)-2583-9829(Online)
International Peer Reviewed and Referred E-Journal
ISSN: 2583-9829, Volume: 02, Issue: 04, December 2024

स्वयं को थका हुआ सा आर्थिक रूप से ठगा हुआ सा कानूनी रूप से गलत प्रस्तुतीकरण सहयोगी साथी की व्यवस्था से शोभा महसूस करते हैं तथा अकेले रहने से भयभीत यह अवरोध की भीम साथियों और वह लोग जो इसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित है में कहीं व्यावहारिक परिवर्तन उत्पन्न करता है।

विवाह विच्छेद का औचित्य-

1 समानता का अधिकार-वर्तमान मेंस्त्री और पुरुष को सभी क्षेत्रों में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है ऐसी स्थिति में विवाह विच्छेद का अधिकार केवल पुरुषों को ही नहीं बल्कि स्त्रियों को भी प्राप्त होना चाहिए और हो भी रहा है

2 पारिवारिक संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए-सुखी वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन के लिए विवाह विच्छेद का अधिकार दोनों ही पक्षों को समान रूप से प्राप्त होना चाहिए संयुक्त परिवार में तो स्त्री परिवार के अन्य लोगों पर भी निर्भरती किंतु वर्तमान समय में एकांकी परिवारों में पति-पत्नी एवं बच्चे ही होते हैं ऐसी स्थिति में पति के दुराचारी होने या वैवाहिक दायित्व ननिभाने पर पति व बच्चों का कोई अन्य सहारा नहीं होता ।ऐसी दशा में स्त्री ऐसी दशा में स्त्री वह बच्चों की रक्षा के लिए एवं परिवार को सुसंगठित बनाने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में विवाह विच्छेद की स्वीकृति दी जानी चाहिए

3 स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए-स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार मिलने पर उनकी पारिवारिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी पुरुष के स्त्री के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आएगा पति-पत्नी में विश्वास के भाव समाप्त होंगे और अंतर जातीय प्रेम बढ़ेगा साथी पुरुषों की मनमानी पर भी अंकुश लगेगा फिर प्राचीन भारत में स्त्रियों को यह अधिकार प्राप्त था तो वर्तमान में क्यों ना

4 वैवाहिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए-वर्तमान में हिंदू विवाह से संबंधित अनेक समस्या पाई जाती है जैसे बाल विवाहअनमेल विवाह दहेज विधवा विवाह निषेध यदि इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए विवाह विच्छेद का अधिकार दिया जाना चाहिए

5 सामाजिक जीवन को संतुलन बनाने के लिए-वर्तमान समय में हमारे सामाजिक जीवन में अनेक परिवर्तन आए हैं स्त्रियों ने शिक्षा ग्रहण की है वह आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में पुरुषों के समक्ष कार्य कर रही है ऐसी दशा में उन्हें विवाह के क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकारन देने से समाज व्यवस्था में असंतुलन पैदा होगा इस स्थिति से बचने के लिए एवं मानवीय दृष्टिकोण से भी स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त होना चाहिए

हिंदू विवाह अधिनियम 1955

18 में 1955 से जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में निवास करने वाले हिंदुओं जिन में जैन बुद्ध एवं सिख भी सम्मिलित है हिंदू विवाह अधिनियम लागू कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा विवाह से संबंधित पूर्व में पास किए गए सभी अधिनियम रद्द कर दिए गए और सभी हिंदुओं पर एक समान कानून लागू किया गया इस अधिनियम में हिंदू विवाह की प्रचलित विभिन्न वीडियो को मान्यता प्रदान की गई साथ ही सभी जातियों में स्त्री पुरुष को विवाह एवं तलाक के अधिकार

प्रदान किए गए इसकी प्रमुख विशेषता इस प्रकार है किन्ही दो हिंदू स्त्री और पुरुषों के बीच विवाह के लिए निम्नलिखित शर्तें रखी गई

*स्त्री एवं पुरुष दोनों में से किसी एक का विवाह के समय दूसरा जीवनसाथी जीवित न हो वर वधु दोनों में से कोई भी विवाह के समय पागल या मूर्ख ना हो विवाह के समय पर वार की आयु 18 वर्ष और वधू की आयु 15 वर्ष से कम ना हो किंतु 1974 में इस अधिनियम में संशोधन कर वर् की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष कर दी गई दोनों पक्ष निषेधात्मक नातेदारी संबंधों में ना आते हो अर्थात जिन प्रथाओं में वह नियंत्रित होते हैं इनके विपरीत ना हो दोनों पक्ष सपिंडी ना हो यदि उनकी परंपरा के अनुसार सपिंड विवाह प्रचलन में हो ।

विवाह विच्छेद निवारण के उपाय

भारतीय समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्कार एवं अटूट बंधन माना गया है और लोगों की अवधारणा है की विवाह के लिए जोड़ियां भगवान द्वारा पहले से ही बनाई होती है लेकिन वर्तमान समय में आधुनिक युग में समाज में व्यक्तिवाद की भावना प्रबल होती नजर आ रही है इससे विवाह रूपी बंधन धार्मिक बंधन कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है दो परिवारों की आपसी समझ से विवाह विच्छेद का निवारण किया जा सकता है इसमें पति-पत्नी को एक दूसरे को समझने की जरूरत है एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है भारतीय समाज में संयुक्त परिवार समाज में रीड की हड्डी हुआ करते थे लेकिन वर्तमान समय में एकांकी परिवार तेजी से बढ़ रहे हैं एकांकी परिवार में पति-पत्नी और बच्चे रहते हैं इसमें भी पति नौकरी के लिए घर से बाहर जाता है और लंबे समय तक दूरी बनी रहती है इसी वजह से रिश्तो में कलह पैदा होता है । परिवारों में आपसी समझ के कारण विश्वास के आधार पर विवाह विच्छेद का समाधान किया जा सकता है पति-पत्नी के एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना नैतिक जिम्मेदारी है छोटी-छोटी बातों में आपस में उलझना तनावपूर्ण माहौल पैदा करना इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और विवाह विच्छेद जैसी सामाजिक समस्या जन्म लेती है। वर्तमान समय में डिस्को क्लब में जाना शराब पीना देर रात घर आना, दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध रखना इन सब पर रोक लगाकर विवाह विच्छेद जैसी सामाजिक बुराइयों से बचा जा सकता है।

वर्तमान समय में हिंदू विवाह अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी

वर्तमान में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत इरिट्रियवेबल बैकग्राउंड ऑफ मैरिज को विवाह विच्छेद का आधार नहीं माना जाता है हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया है।हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह विच्छेद का आधार-

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह विच्छेद की प्रक्रिया दी गई है जो हिंदू, बोथ जैन तथा सिख धर्म को मानने वालों पर लागू होती हैइस अधिनियम की धारा 13 के तहत विवाह विच्छेद के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं

1 व्यभिचार-यदिपति या पत्नी में से कोई भी किसी अन्य व्यक्ति से विवाहित संबंध स्थापित करता है तो इससे विवाह विच्छेद का आधार माना जा सकता है पत्नी होने के बावजूद दूसरी जगह यौन संबंध बनाता है शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है इस आधार पर विवाह विच्छेद किया जा सकता है

2 कुरता-पति या पत्नी कोउनके साथी द्वारा शारीरिक यानी या मानसिक रूप से प्रतिदिन किया जाता है तो इससे कुरता के तहत विवाह विच्छेद का आधार माना जा सकता है।

3परित्याग-यदि पति या पत्नी में से किसी ने अपने साथी को छोड़ दिया हो तथा विवाह विच्छेद की अर्जी दाखिल करने से पहले वह लगातार 2 वर्षों से अलग रह रहे हो ऐसी स्थिति में विवाह विच्छेद हो सकता है।

4 धर्मांतरण-पति-पत्नी में से एक में कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लिया हो या अन्य धर्म स्वीकार करने का दबाव डालता हो ऐसी स्थिति में विवाह विच्छेद हो सकता है

5 मानसिक विकार-पति या पत्नी में सेकोई भी असाध्याय मानसिक स्थिति तथा पागलपन से ग्रस्त हो और उनका एक दूसरे के साथ रहना संभव हो पति और पत्नी में से कोई और असाध्य रोग से पीड़ित हो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच तलाक हो सकता है।

*इसके अलावा अधिनियम की धारा 13 बी के तहतआपसी सहमति को विवाह विच्छेद का आधार माना गया है।

*विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 27 के तहत विधिपूर्वक संपन्न विवाह के लिए विवाह विच्छेद की प्रावधान दिए गए हैं।

*इरिटेरीवेबल बैकग्राउंड ऑफ़ मैरिज

*हाल ही में के.आर. श्रीनिवास कुमार बनाम आर रामेधा मामले मेंसर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायिक निर्णय को जांच करते हुए इरिट्रिवेबल बैकग्राउंड ऑफ मैरिज को आधार मानते हुए विवाह विच्छेद का निर्णय दिया था

*सर्वोच्च न्यायालय नेअपने इस निर्णय में कहा कि जिन मामलों में वैवाहिक संबंध पूर्ण रूप से व्यवहार भावनात्मक रूप से अमृत प्राय यानी जिसमें सुधार की कोई संभावना न हो तथा अपूर्ण रूप से टूट चुके हो उन्हें विवाह विच्छेद का आधार माना जा सकता है

*अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति हैकि जिन मामलों में कानून या विधि द्वारा निर्णय नहीं किया जा सकता है ऐसी स्थिति में वह उसे मामले को स्वयं के अधिकार क्षेत्र में लाकर अंतिम निर्णय दे सकता है

*न्यायालय ने पहले भी कहीं मामलों में जहां वैवाहिक संबंध मृत प्राय हो जाते हैं अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए इरिगबल बैक ग्राउंड ऑफ मैरिज को विवाह विच्छेद का आधार माना गया है

भारत में अलग-अलग धर्म के अनुसार विवाह विच्छेद की प्रक्रिया

1 भारत में विभिन्न धर्मों के लिए विवाह विच्छेद/तलाक के अलग-अलग नियम है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जिसमें सिख जैन बुद्ध शामिल है।

2 ईसाइयों के लिए तलाक अधिनियम 1869 और भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 है।

3 मुसलमानों के लिए तलाक की प्रक्रिया डायवोर्स ओफ डिलीवर्स और डिसोल्विंग का मैरिज एक्ट 1939 और मुस्लिम विवाह अधिनियम 1986 द्वारा नियंत्रित है साथ हीतीन तलाक कानून भी पारित किया जा चुका है।

4 पारसियों के लिए यह पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 है।

विवाह विच्छेद से उत्पन्न दुष्परिणाम का मनोसामाजिक प्रभाव

भारतीय समाज में इस तथ्य की विश्लेषण की आवश्यकता है की विवाह विच्छेद के बाद पति-पत्नी किस प्रकार स्वयं को समायोजित करते हैं।विवाह के संविदा का अंत तलाक होता है परंतु पति-पत्नी की दृष्टि से यह केवल पति पत्नी की परिस्थिति में परिवर्तन है इसमें वैयक्तिक विघटन भी होता हैतथा ऐसे व्यक्ति स्वयं को अपराधी अनुभव करने लगता है ऐसी दशा में उसके सामने असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तलाक के बादपति-पत्नी की भूमिका और परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है कुछ लोग तो तलाक से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना कर लेते हैंपरंतु अन्य लोगों का जीवन इन परिस्थितियों में विघटित हो जाता हैतलाकशुदा व्यक्तियों के समक्ष वैवाहिक संबंधों की पूर्ण स्थापना की भी समस्या आ जाती है प्राय हो स्त्रियों को इस समस्या से ज्यादा जूझना पड़ता हैतलाक प्राप्त व्यक्तियों को प्राय हो समझ में उचित सम्मान नहीं मिल पाता ऐसे लोगों को व्यक्तित्व परिवर्तन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तलाक से व्यक्ति के हम को चोट पहुंचती है कहीं तलाकशुदा स्त्रियां कुंण्टा , चिंता अवसाद अनिद्रा आदि बीमारियों की शिकार हो जाती है आदतों की पूर्ति न होने पर निराशा परेशानी व असंतोष का भाग उत्पन्न हो जाता है। महिलाओं को विवाह विच्छेद से आर्थिक भूमिकाओं के निर्वाह तथा आर्थिक जीवन के संचालन में कहीं कष्टो का सामना करना पड़ता है तलाक के बाद बच्चों को परेशानी ज्यादा आती है उनका जीवन भी इन दोनों के बीच पिसता है। ऐसे व्यक्तियों के सामने समूह तथा समाज के वातावरण की अनेक कठिनाइयां सामने आती है।

सारांश

समाज की व्यवस्था को बनाए रखना तथा यो आवश्यकताओं की पूर्ति को कानूनी तरीके के रूप में विवाह की संस्था को सामाजिक स्वीकृति दी गई विवाह जहां एक और नए परिवार का सृजन करता हैवही दो व्यक्तियों और दो अलग-अलग परिवारों को एक साथ लाने की व्यवस्था भी प्रदान करता हैलेकिन जब पति-पत्नी के वैवाहिक संबंधों में मधुरता का अभाव होने लगता है तो विवाह विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होती है लेकिन विवाह विच्छेद की यह स्थिति अचानक उत्पन्न नहीं होती कभी-कभी पारिवारिक तनावों के बावजूद विवाहित जोड़े अपना जीवन औपचारिक रूप से संगठित बनाए रखते हैं तथा

कुछ धार्मिक विश्वासों पारिवारिक प्रतिष्ठा तथा पारिवारिक दबाव के कारण अपना जीवन ऊपरी तौर पर संगठित रखते हैं परंतु अंदर से तनाव की स्थिति बनी रहती है लेकिन जब यह तनाव की स्थिति अपनी पराकाष्ठा में पहुंच जाती हैतो विवाह विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होती है ग्रामीण भारतीय समाज में पारिवारिक जीवन कष्टप्रद और तनाव युक्त होने के बावजूद विवाह विच्छेद की स्थितियां नहीं के बराबर होती है लेकिन दूसरी ओर आधुनिक समाज में इस भौतिकवादी युग में जहां एकांकी परिवार बढ़ने लगी है संयुक्त परिवार कम होने लगे है यह विवाह विच्छेद का एक प्रमुख कारण हो सकता है क्योंकि इस आधुनिक युग में पति-पत्नी दोनों नौकरी करते हैं एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं और दोनों के बीच संबंधों में खटास पैदा होती रहती है और यही तनावपूर्ण माहौल एक में एक दिन विवाह विच्छेद का कारण बन सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1 के.एम कपाड़िया, (1966)भारत में विवाह एवं परिवार, ऑक्सफोर्ड प्रेस मुंबई प्रकाशक

2 डॉआर.एन सक्सेना, (1968)भारतीय समाज एवं सामाजिक संस्थाएं पुस्तक महल आगरा पब्लिकेशन

3 राम अहूजा(1993) भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत प्रकाशन जयपुर व नई दिल्ली

4 मानसी दास वह पैनोरा डी बरदीस,(1993) एशिया के परिवार विकास प्रकाशन गृह प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली

5 के. एम .कपाड़िया(1955) द फैमिली ट्रांजिक्शन सोशियोलॉजिकल बुलेटिन

6 कुमार ए (2006) आधुनिक महिला एवं समाज, उत्पीड़न अत्याचार एवं अधिकार, बुक एनक्लेव, जयपुर।

7 स्रोत इंडियन एक्सप्रेस।

Certificate No.:020412202429

MULTIDISCIPLINARY COSMOPOLITAN JOURNAL OF RESEARCH

(MUCOJOR)-2583-9829 (On-line)

International Peer Reviewed and Refereed Journal

Certification of Publication

The Board of Multidisciplinary Cosmopolitan Journal of Research (MUCOJOR) is hereby awarding

डॉ शक्ति सिंह राठौड़

In recognition of the publication of the paper entitled

आजादी के 76 वर्ष और सामाजिक समस्याओं की बदलते स्वरूप

तलाक विवाह विच्छेद अवधारणा, कारण, आपसी समझ की स्थिति, निवारण के उपाय

Published in Volume 02, Issue 04, December 2024.

EDITOR IN CHIEF